प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 1999/2018

1 – कुंजभूवन साहू पिता बिसारीराम साहू, 65 वर्ष, निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा, महानदी भवन नया रायपुर थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2–आयुक्त दुर्ग कॉम मिशनरी दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़जिला :छत्तीसगढ़ दुर्ग,

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

5–अनुमंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6–पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा ग्राम जांजगीर थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1226/2018

1 – शत्रुघ्न पिता स्वर्गीय धनू पटवा, 68 वर्ष, निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग ,कमिश्नरी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़), जिलाःदुर्ग, छत्तीसगढ़

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 2006/2018</u>

1 – राम कुमार साहू पिता स्वर्गीय बोध साहू, 55 वर्ष, निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – दुर्ग आयुक्त, दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1268/2018</u>

1 – केजू राम (मृत्यु) बिराज बाई साहू के द्वारा पति स्वर्गीय केजूराम , आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी ग्राम धामधा, (अब भिलाई–3), जिला दुर्ग, छ.ग (माननीय न्यायालय आदेश 20–08–2024 के अनुसार)

2 – भागवत साहू पिता स्वर्गीय केजुराम आयु 53 वर्ष, निवासी ग्राम धामधा, (अब भिलाई–3), जिला दुर्ग, छ.ग.

3 –अजीत राम साहू पिता स्वर्गीय केजुराम , 46 वर्ष, निवासी ग्राम धामधा, (अब भिलाई–3), जिला दुर्ग, छ.ग.

4 – दलूराम साहू पिता स्वर्गीय केजूराम 44 वर्ष निवासी गाँव धामधा, (अब भिलाई–3), जिला दुर्ग, छ.ग.

5 – देलु राम साहू पिता स्वर्गीय केजुराम 35 वर्ष निवासी ग्राम धामधा, (अब भिलाई–3), जिला दुर्ग, छ.ग.

––– याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 2157/2018</u>

1 – सेवाराम साहू पिता स्वर्गीय लेखराम आयु लगभग 51 निवासी वर्ष गाँव जंजगीर, तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त, दुर्ग जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्ट्रेट दुर्ग, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1225/2018</u>

1 – मेधु राम पिता स्वर्गीय गोवर्धन साहू 72 वर्ष निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उपमंडलीय अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1228/2018</u>

1 – सुंदर लाल साहू पिता स्वर्गीय जुगलू राम साहू, 65 वर्ष निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका सिविल सं 1235/2018</u>

1 – मोजू राम पिता स्वर्गीय जीवन लाल साहू, 47 वर्ष , निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1234/2018</u>

1 – कोमल राम पिता आसाराम साहू, 48 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1229/2018</u>

1 – फरहराम पिता स्वर्गीय भगोली राम 47 वर्ष निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं1236/2018

1 – इसमाइल बेग पिता स्वर्गीय इंसान बेग 85 वर्ष निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वार्ड संख्या 1 मुरमुंडा मोड विजय तल्ला तहसील तथा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ जिला :राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1242/2018

1 – शिव प्रसाद साहू पिता स्वर्गीय जीवनधन 61 वर्ष, निवासी ग्राम जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – दुर्ग आयुक्त, आयुक्त कार्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1922/2018

1 – रोहित कुमार पटवा पिता खम्हन लाल पटवा 42 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1932/2018

1 – हरिनारायण देवांगन पिता जुलाराम देवांगन 54 वर्ष ग्राम जंजगिरी तहसील धामधा निवासी–दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्ट्रेट कार्यालय दुर्ग, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>रिट याचिका सिविल सं 1976/2018</u>

1 – जोहान लाल साहू पिता गोविंद साहू 62 वर्ष ग्राम जंजगिरी तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1981/2018</u>

1 – पलटन राम साहू पिता सुख लाल साहू 68 वर्ष ग्राम जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा महानदी भवन, नया रायपुर थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग कॉम मिशनरी दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण, अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उपमंडलीय अधिकारी दुर्ग तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लॉफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 1982/2018</u>

1 – रूपराम साहू पिता स्वर्गीय थानवर 65 वर्ष गाँव जंजगिरी तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादी

रिट याचिका सिविल सं 1984/2018

1 – इच्छा राम पिता बैसाखू 62 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना, भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ।

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं1980/2018

1 – टीकाराम साहू पिता स्वर्गीय रामधर साहू, 85 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2005/2018

1 – भारोसा गोंड पिता फागुवा राम 67 वर्ष गाँव–जांजगीर, तहसील धामधा जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग आयुक्त कार्यालय दुर्ग जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर दुर्ग कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उपमंडलीय अधिकारी दुर्ग तहसील तथा जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

रिट याचिका सिविल सं 2002/2018

1 – भगेला राम साहू पिता खोरबहारा 61 वर्ष ग्राम जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा महानदी भवन नया रायपुर थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2 – आयुक्त दुर्ग, मिशनरी दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा ग्राम जांजगीर थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 2004/2018</u>

1 – कलूराम साहू पिता स्वर्गीय सामरिया साहू 53 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा, ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 2003/2018</u>

1 – फिरंता राम पिता स्वर्गीय राम दयाल साहू, 78 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के द्वारा ,महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका सिविल सं 1994/2018</u>

1 – पुनीत राम साहू पिता स्वर्गीय बिसाहु साहू 71 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका सिविल सं 2001/2018</u>

1 – पीतांबर साहू पिता धुराम साहू 55 वर्ष गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक के द्वारा , ग्राम जंजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका सिविल सं 2000/2018</u>

1 – मणिराम यादव पिता महेत्तर 55 वर्ष निवासी गाँव जंजगिरी, तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, थाना तथा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ , जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, दुर्ग, आयुक्त कार्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – कलेक्टर, दुर्ग, कलेक्टर कार्यालय दुर्ग तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4 – उप–मंडल अधिकारी, पाटन सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5 – उप–मंडल अधिकारी, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़,

6 – पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरिष्ठ प्रबंधक, के द्वारा , गाँव जांजगीर, थाना भिलाई तथा तहसील धामधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

––

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण हेतु : श्री एन. के. मालवीय, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सृष्टि उपाध्याय, अधिवक्ता, श्री वैभव शुक्ला, अधिवक्ता तथा श्री सुयशधर बडगैया, उप सरकारी अधिवक्ता

––

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20/02/2025

1. वर्तमान रिट याचिकाएं भूमि अधिग्रहण कार्यवाही और दिनांक 2.1.1998 के अंतिम अधिनिर्णय को समाप्त घोषित करने और याचिकाकर्ताओं की भूमि वापस करने, उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ताओं की भूमि के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने और 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए उनके उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें क्षतिपूर्ति देने हेतु अनुतोष का दावा करते हुए अनुतोष प्रदान करने के लिए दायर की गई हैं। चूंकि सभी रिट याचिकाओं में एक ही विवाद्यक उठाया गया है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय दिया जाता है।

2. रिट याचिका (सी) संख्या 1999/2018 को सभी संबंधित मामलों को पक्षों की सहमति से निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख प्रकरण के रूप में लिया जाता है क्योंकि सभी रिट याचिकाओं में समान विवाद्यक उठाए गए हैं और यहां तक कि सभी रिट याचिकाओं में अनुतोष भी लगभग समान है।

3. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विचाराधीन भूमि जो याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्वजों से अर्जित की गई थी, याचिकाकर्ताओं की भूमि थी जिसमें उनके पूर्वजों के नाम दर्ज थे।यद्यपि, बिना कोई नोटिस आदि जारी किए, याचिकाकर्ताओं की भूमि अधिग्रहित कर ली गई और अधिनिर्णय पारित करने के बाद भूमि लाभार्थियों, अर्थात उत्तरवादी संख्या 6/पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंप दी गई, जिसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने एक पावर ग्रिड का निर्माण किया है। हालांकि, सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि के अधिग्रहण या 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए उनकी भूमि के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिल सका और इस तरह

उत्तरवादी अधिकारियों की ओर से की गई कार्यवाही स्पष्ट रूप से अवैध है और याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित अनुतोष दी जानी चाहिए, जिनकी मांग डब्ल्यूपीसी संख्या 1999/2018 में की गई है:---

"1. यह कि, याचिकाकर्ता इस रिट याचिका में अनुतोष की मांग कर रहा है कि भूमि अधिग्रहण प्रकरण संख्या 15 ए/82- भूमि अधिग्रहण/95-96 और अंत में अधिनिर्णय 2.1.1998 को पारित किया गया था, केवल याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में समाप्त घोषित किया जाए जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, जो राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर थी या पहले उसके पूर्वजों के नाम पर थी जब इसे अधिसूचना 20.12.1995 के तहत अधिग्रहित किया गया था जिसके लिए सब स्टेशन स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए ग्राम जांजगिरी पी.एच. सं 44 कुल क्षेत्रफल 86.518 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।अधिनिर्णय की फोटो प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न है।

2. इसके अलावा, वही भूमि याचिकाकर्ता को वापस करने के लिए, माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत अधिसूचना के बाद से भूमि के उपयोग के लिए विधि के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने की कृपा करें और याचिकाकर्ता को 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए उत्पीड़न के लिए भी क्षतिपूर्ति देंवे । इसलिए यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. लागत लगाने सहित मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में कोई अन्य अनुतोष, आदेश/निर्देश जारी करने कि कृपा करें ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि दिनांक 20.12.1995 की अधिसूचना द्वारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के लिए ग्राम जंजगिरी, पी.एच. संख्या 44, कुल क्षेत्रफल 86.518 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसका मामला संख्या 15-ए/82 भूमि अधिग्रहण/95-96 है, जिसे 400/200 के.वी. विद्युत उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के लिए अधिग्रहित किया गया। विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया और तत्पश्चात 2.1.1998 को अधिनिर्णय पारित किया गया।अधिनिर्णय में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने सभी खातेदारों को संयुक्त रूप से 39,30,416 रुपए की राशि प्रदान की है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि "चरागाह भूमि" के रूप में दर्ज है। इस राशि के वितरण के लिए भूमि धारकों के नाम का पता लगाना आवश्यक है, लेकिन आज तक उत्तरवादी भूमि धारकों के नाम का पता नहीं लगा सके हैं, जबकि ग्रामीणों ने क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अन्य ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों के समक्ष कई आवेदन या अभ्यावेदन दायर किए हैं।वर्ष 2012 में, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, उन्होंने अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र दायर किया है, परंतु याचिकाकर्ताओं द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान का अभी भी इंतजार है।इस प्रकार, आज तक, उन्होंने कभी भी मुआवजे की कोई राशि पेश नहीं की है, इसलिए, इस मामले में इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। यहां तक कि उन्होंने कुछ ऐसे ही लोगों को भी भुगतान किया है, जिन्होंने न्यायालय का रुख किया और अनुतोष कि मांग कि । समय बीतने के साथ, भूमि धारक, जिनके नाम राजस्व अभिलेख में थे, उनकी मृत्यु हो गई तथा उनके विधिक उत्तराधिकारी दावे को

आगे बढ़ा रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत आपातकालीन खंड को लागू करके भूमि पर कब्जा ले लिया गया है।इसलिए वर्तमान याचिकाएँ प्रस्तुत किया गया।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि जो उस समय उनके या उनके पूर्वजों के नाम पर थी, उसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा सब स्टेशन स्थापित करने के लिए ग्राम जंजगिरी, पी.एच. संख्या 44, कुल क्षेत्रफल 86.518 हेक्टेयर में भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 20.12.1995 की अधिसूचना के तहत अधिग्रहित किया गया था। अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण मामले संख्या 15–ए/82–भूमि अधिग्रहण/95–96 के तहत शुरू की गई और अंततः 2.1.1998 को अधिनिर्णय पारित किया गया।याचिकाकर्ता के संबंध में ये अधिग्रहण कार्यवाही केवल एकत्रित भूमि को प्रभावित करती है, जिसे आमतौर पर चारागाह के रूप में जाना जाता है, जिसे समाप्त घोषित किया जा सकता है क्योंकि यह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (1) (ए) और धारा 24 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत आती है, क्योंकि आज तक उत्तरवादी ने कभी भी क्षतिपूर्ति की राशि की पेशकश/निविदा नहीं की है, इसके बावजूद कि याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से या ग्राम जंजगिरी के अन्य ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन दायर करके कई प्रयास किए हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति न देना या कार्यवाही न करना वास्तव में क्षतिपूर्ति देने से इनकार करना और आज तक क्षतिपूर्ति न देना है, क्योंकि वर्तमान मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने आज तक वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति का पता नहीं लगाया है, न ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय में जमा किया है।विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विषयगत भूमि का अधिग्रहण किया गया था और तत्पश्चात 2.1.1998 को अधिनिर्णय पारित किया गया था। अधिनिर्णय में, त्रुटि से, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने सभी खातेदारों को संयुक्त रूप से 39,30,416/– रुपए एकमुश्त "चरागाह भूमि" या चरागाह भूमि के रूप में दिए हैं। यह उस भूमि पर था जो पूल्ड भूमि के रूप में उपयोग में थी, जिसका उपयोग ग्रामीण अपने कृषि उपयोग के लिए कर रहे थे। इस राशि के वितरण के लिए, भूमि धारकों के नाम का पता लगाना आवश्यक है। वर्ष 2012 में,क्षतिपूर्ति पाने के प्रयास के रूप में, अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र दायर किया गया था, लेकिन, याचिकाकर्ताओं द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी भी प्रतीक्षित है।आज तक, उन्होंने कभी भी क्षतिपूर्ति की कोई राशि पेश नहीं की है, इसलिए, वर्तमान मामलों में इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। यहां तक कि उन्होंने कुछ ऐसे ही लोगों को भी भुगतान किया है, जिन्होंने न्यायालय का रुख किया गया और अनुतोष मांगा गया। समय बीतने के साथ, जिन भूमि धारकों के नाम राजस्व अभिलेख में थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके विधिक उत्तराधिकारी दावे को आगे बढ़ा रहे हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत आपातकालीन खंड को लागू करके भूमि पर कब्जा कर लिया गया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में दिनांक 2.1.1998 के अधिनिर्णय के अनुसरण में क्षतिपूर्ति का भुगतान न किए जाने से व्यथित हैं, जिसमें मामला संख्या 15–ए/82 भूमि अधिग्रहण/95–96 है, जिसे 400/200 केवी विद्युत उप–केंद्र स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि क्षतिपूर्ति राशि के वितरण के लिए भूमि धारकों के नामों का पता लगाया जाना था, जो आज तक नहीं किया गया है।इसके अलावा समान स्थिति वाले व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति की राशि वितरित की गई है और केवल याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित रखा गया है। राज्य/प्रतिवादियों ने शुरू में इस न्यायालय में आने में 20 वर्षों की अनुचित और अस्पष्टीकृत विलंब पर आपत्ति जताई है, जिसके लिए वर्तमान रिट याचिकाओं को शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिकाओं में तथ्यों का विवादित प्रश्न शामिल है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता आगे अनुतोष का दावा कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 के तहत उक्त भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त घोषित किया जाए।यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि मूल भूमि मालिकों से कब्जा छीन लिया गया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 24 में निहित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों ने डब्लू पी संख्या 2040/1999 को प्राथमिकता देते हुए इस न्यायालय का रुख किया गया था और अपनी भूमि के अधिग्रहण के बदले में क्षतिपूर्ति देने का निर्देश मांगा था।उक्त रिट याचिका पर सुनवाई की गई तथा दिनांक 9.09.2010 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता आक्षेपित भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करते हैं, तो वे निर्णय में निर्धारित क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे, जो कि कब्जा लेने की तिथि से भुगतान होने तक 9% ब्याज सहित प्रभावी होगा।इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी से संपर्क किया और वे संबंधित भूमि पर अपने पूर्वजों के बारे में प्रविष्टियां दिखाने वाले राजस्व अभिलेख जैसे दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से स्वामित्व स्थापित करने में असफल रहे और इसलिए वे क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमधा के निर्देश पर, संबंधित भूमि के स्वामित्व का पता लगाने के लिए नायब तहसीलदार, धमधा द्वारा एक जांच की गई, जिसमें 18 भू–विस्थापितों के स्वामित्व का पता लगाया गया, जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन, उक्त सूची में न तो याचिकाकर्ताओं के नाम और न ही उनके पूर्वजों के नाम का उल्लेख किया गया था और उपरोक्त को प्रमाणित करने के लिए नायब तहसीलदार, धमधा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति पहले से ही अनुलग्नक आर/1 के रूप में दायर की गई है।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि चूंकि विचाराधीन भूमि वर्ष 1932–33 के राजस्व अभिलेखों में "शामिलात चरागाह" के रूप में दर्ज है और बाद में इस न्यायालय ने दिनांक 9.09.2010 को डब्ल्यू.पी. संख्या 2040/1999 में पारित आदेश के तहत माना कि "शामिलात चरागाह" स्वामित्व के तहत दर्ज भूमि के संबंध में क्षतिपूर्ति का हक ब्याज सहित, अधिग्रहित भूमि पर उनके स्वामित्व को स्थापित करने वाले राजस्व अभिलेख जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है, इसलिए, यदि

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता उत्तरवादी के समक्ष कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर उनके पूर्वजों या याचिकाकर्ताओं का स्वामित्व दर्शाया गया हो, तो दिनांक 2.1.1998 के अधिनिर्णय के माध्यम से निर्धारित क्षतिपूर्ति उन्हें तदनुसार जारी किया जाएगा।

7. उत्तरवादी संख्या 6/पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं के पास अधिग्रहित भूमि के संबंध में कोई स्वामित्व है। याचिकाकर्ताओं के पास कोई विधिक अधिकार नहीं है और साथ ही उनके पास इन याचिकाओं को दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं और इसके लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 6450/2024 (ऐवाज देवांगन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश पर भरोसा किया है जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:“6. यह सामान्य विधि है कि सामान्यतः, जो व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत चाहता है, उसके पास विषय–वस्तु में व्यक्तिगत या वैयक्तिक अधिकार होना चाहिए और “सामान्यतः” शब्द में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो किसी प्राधिकारी के कार्य या चूक से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो।"यह भी तर्क दिया गया कि 2.1.1998 को ही अधिनिर्णय पारित कर दिया गया था और उसके बाद 20 वर्ष बीत चुके हैं, हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कोई कदम नहीं उठाया है और इस तरह वर्तमान रिट याचिकाएं विलंब और लापरवाही के दोष से ग्रस्त हैं और केवल इसी आधार पर याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं। उन्होंने **मुथा एसोसिएट्स और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2013) 14 एससीसी 304 के** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“22. अफलातून बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, (1975) 4 एससीसी 285 में संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को इंद्रपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य, (1975) 4 एससीसी 296 में एक अन्य संविधान पीठ के निर्णय द्वारा दोहराया गया है।इस न्यायालय के ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम औद्योगिक विकास निवेश कंपनी (पी) लिमिटेड, (1996) 11 एससीसी 501, रामजस फाउंडेशन बनाम भारत संघ, 1993 सप (2) एससीसी 20 और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, (1998) 4 एससीसी 387 में दिए गए निर्णय भी इसी प्रभाव के हैं।इन सभी निर्णयों में एक बात समान है कि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने में सफल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यदि ऐसा करने के बजाय हितबद्ध व्यक्ति बिना किसी विलंब के शीघ्रता एवं निर्णायक रूप से कार्य करते है , तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

26.ऐसे मामलों में, यदि हितबद्ध व्यक्ति उचित स्तर पर और बिना किसी अनावश्यक विलंब के निवारण की मांग करने में विफल रहते हैं, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अधिग्रहणों के प्रति अपनी आपत्तियों को छोड़ दिया है।मूल बात यह है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिग्रहण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का उपयोग करने से वैध रूप से इनकार कर सकता है, यदि ऐसी कार्यवाही को चुनौती देने में देरी हुई है और प्रस्तुत स्पष्टीकरण केवल दिखावा है, जैसा

कि इस मामले में स्थिति है।इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति में उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करके अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग किया है।"

8. जहां तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की प्रयोज्यता का सवाल है, यह वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि अधिनिर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है और भूमि का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है, ऐसे में इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल, (2020) 8 एससीसी 129 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत याचिकाकर्ताओं को कोई अनुतोष नहीं दी जा सकती है।

9. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख को अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ देखा है।

10. **सुख दत्त रात्रा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2022) 7 एससीसी 508 में,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"17. जब समग्र रूप से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि राज्य की कार्रवाइयों, या उनकी कमी ने वास्तव में अपीलकर्ताओं के साथ हुए अन्याय को और बढ़ा दिया है और उन्हें इस न्यायालय का रुख करने हेतु विवश किया है, यद्यपि देर से।शुरू में 1990 के दशक में अधिग्रहण की कार्यवाही की शुरुआत केवल उच्च न्यायालय के कहने पर हुई थी।इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप के बाद भी, राज्य ने केवल उन लोगों को न्यायालय के निर्देशों का लाभ देना जारी रखा, जिन्होंने विशेष रूप से न्यायालय का रुख किया गया था।राज्य के उदासीन आचरण से यह स्पष्ट है कि उसने अधिग्रहण की कार्यवाही चुनिंदा रूप से शुरू की है, केवल उन रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि के संबंध में जिन्होंने पिछली कार्यवाही में न्यायालय का रुख किया गया था, अन्य भूमि मालिकों के लिए नहीं, क्रमशः 23-4-2007 (अनख सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2007 एससीसी ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश 220) और 20-12-2013 (ओंकार सिंह बनाम राज्य, सीडब्ल्यूपी संख्या 1356/2010, आदेश दिनांक 20.12.2013 (हिमाचल प्रदेश) के आदेशों के अनुसार। इस तरह, हर स्तर पर राज्य ने कानून द्वारा निर्धारित तरीके से सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की प्रयास किया।

19. वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि राज्य ने गुप्त और मनमाने तरीके से, विधि द्वारा आवश्यक क्षतिपूर्ति के वितरण को केवल उन लोगों तक सीमित करने की सक्रिय कोशिश की है, जिनके लिए उसे विशेष रूप से न्यायालय द्वारा प्रेरित किया गया था। यह बात न्यायालयों के समक्ष रखी जानी चाहिए, न कि उन सभी के समक्ष जो इसके हकदार हैं।यह मनमाना कार्यवाही, जो अपीलार्थियों के प्रचलित अनुच्छेद 31 अधिकार (कार्यवाही के कारण के समय) का भी उल्लंघन है, निस्संदेह उच्च न्यायालय द्वारा अपने अनुच्छेद 226 क्षेत्राधिकार के तहत विचार तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।इस न्यायालय ने यू.पी. राज्य बनाम मनोहर, (2005) 2 एस.सी.सी. 126 – एक ऐसा ही मामला जिसमें पीड़ित का नाम राजस्व अभिलेखों से हटा दिया

गया था, जिसके कारण उसे क्षतिपूर्ति दिए बिना भूमि से बेदखल कर दिया गया था: (एस.सी.सी. पृ. 128–29, कंडिका 6–8)"6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला पूरी तरह से अस्थिर है और किसी भी राज्य से आने योग्य नहीं है जो कल्याणकारी राज्य होने का कम से कम सम्मान करता है। जब हमने विद्वान अधिवक्ता को बताया कि, कम से कम इस स्तर पर, राज्य को अपनी गलती स्वीकार करने और उत्तरवादी को तुरंत क्षतिपूर्ति देने के लिए पर्याप्त दयालु होना चाहिए, तो राज्य ने एक अड़ियल रवैया अपनाया और प्रतिवादी के न्यायसंगत और उचित दावे का विरोध करने में दृढ़ रहा है।

7. हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है और नागरिकों को उपलब्ध अधिकार संविधान द्वारा घोषित किए गए हैं।हालांकि संविधान के चालीसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(एफ) को हटा दिया गया था, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 300–ए को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है:

300–ए. किसी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।विधि के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

8. यह एक ऐसा मामला है, जिसमें हम अपीलकर्ताओं, जो राज्य के अधिकारी हैं, द्वारा प्रतिवादी की संपत्ति से वंचित करने के लिए विधिक अधिकार का पूर्ण अभाव पाते हैं।हमारे विचार में, यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एकदम उपयुक्त था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. पुनः, तुकाराम काना जोशी बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, (एमआईडीसी), (2013) 1 एससीसी 353 में इसी तरह की तथ्यात्मक स्थिति से निराकरण हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 359, कंडिका 11)

"11.ऐसे प्राधिकारी हैं जो कहते हैं कि देरी और आलस्य दावा करने के अधिकार को समाप्त कर देते हैं। इनमें से अधिकांश प्राधिकारी सेवा न्यायशास्त्र, दशकों पहले उनके साथ हुई गलती के लिए मुआवजा देने, वैधानिक बकाया की वसूली, शैक्षिक सुविधाओं के लिए दावा और इसी तरह के अन्य मामलों आदि से संबंधित हैं। हालांकि, यह सच है कि कुछ प्राधिकारी हैं जो कहते हैं कि देरी और आलस्य किसी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत, भले ही उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो, उपचार मांगने से रोकते हैं, लेकिन वर्तमान मामला पूरी तरह से अलग परिदृश्य से निराकरण करते है। राज्य के अधिकारियों ने बिना किसी विधिक मंजूरी के अपीलकर्ताओं की जमीन पर कब्जा कर लिया।अपीलकर्ताओं ने बार–बार क्षतिपूर्ति का लाभ देने की मांग की थी। राज्य को या तो अधिग्रहण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, या अधिग्रहण करना चाहिए। या कोई अन्य अनुमेय वैधानिक तरीका अपनाना चाहिए।

" 24. देरी और लापरवाही के विवाद के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा: (विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 2 एससीसी 569, एससीसी पृष्ठ 574–75, कंडिका 12)

12.राज्य द्वारा अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय में जाने में की गई देरी और लापरवाही के बारे में दिया गया तर्क भी खारिज किए जाने योग्य है।कार्यवाही के जारी रहने के मामले में या परिस्थितियों के कारण न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को आघात पहुंचने पर देरी और लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। विलम्ब की क्षमा न्यायिक विवेक का मामला है, जिसका प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण और उचित तरीके से किया जाना चाहिए।यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और दावा किए गए उपाय तथा देरी कब और कैसे हुई, इस पर निर्भर करेगा।न्यायालयों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर पर्याप्त न्याय करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

13.ऐसे मामले में जहां न्याय की मांग इतनी बाध्यकारी हो, एक संवैधानिक न्यायालय न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा, न कि उसे पराजित करने के लिए।पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम टी.एन. राज्य, (1975) 1 एससीसी 152। "

27. उपरोक्त कारणों से, अपील को स्वीकृति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की अवहेलना को देखते हुए, जिसके कारण उन्हें बेदखली के कृत्य के दशकों बाद इस न्यायालय में आना पड़ा और उन्हें उपचार मिला, हम उत्तरवादी राज्य को अपीलकर्ताओं को 50,000 रुपये की कानूनी लागत और व्यय का भुगतान करने का निर्देश देना भी उचित समझते हैं।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निराकरण किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज़ और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 20 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"38. तुकाराम काना जोशी (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने देखा कि संपत्ति के अधिकार को अब न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि एक "मानव अधिकार" भी माना जाता है।यह भी देखा गया कि मानवाधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के दायरे में माना जाता है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय और रोजगार का अधिकार, आदि। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अब, हालांकि, मानवाधिकार और भी अधिक बहुआयामी आयाम प्राप्त कर रहे हैं और संपत्ति के अधिकार को ऐसे नए आयाम का एक हिस्सा माना जाता है।

41. अल्ट्रा–टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम मस्त राम, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2598 के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"डी. संविधान के अनुच्छेद 300–ए के तहत राज्य की भूमिका।

43. हमारे देश में संपत्ति का अधिकार परस्पर जुड़े अधिकारों का एक जाल है जिसे इस न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 968 में समझाया है। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने सात गैर–संपूर्ण उप–अधिकारों की पहचान की है जो एक भूस्वामी को तब प्राप्त

होते हैं जब राज्य उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है।उक्त निर्णय के तहत इस न्यायालय की सुसंगत टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

".27....... ऐसे सात उप–अधिकारों की पहचान की जा सकती है, हालांकि वे अपूर्ण हैं।

ये हैं:

i) राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सूचित करे कि वह उसकी संपत्ति अर्जित करना चाहता है, सूचना का अधिकार,

ii) राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिग्रहण पर आपत्तियों की सुनवाई करे, सुनवाई का अधिकार,
iii) राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने अधिग्रहण के निर्णय के बारे में तर्कसंगत निर्णय के लिए सूचित करे,

iv) राज्य का कर्तव्य है कि वह यह प्रदर्शित करे कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य,

v) प्रतिपूर्ति या उचित क्षतिपूर्ति के अधिकार को बहाल करने और पुनर्वास करने का राज्य का कर्तव्य,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

vi) अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और कार्यवाही की निर्धारित समयसीमा के भीतर संचालित करने का राज्य का कर्तव्य, एक कुशल और शीघ्र प्रक्रिया का अधिकार, और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया हेतु एक उचित तथा युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति अनिवार्य है।

44. रॉय एस्टेट बनाम झारखंड राज्य, (2009) 12 एससीसी 194; भारत संघ बनाम महेंद्र गिरजी, (2010) 15 एससीसी 682 और मंसाराम बनाम एस.पी. पाठक, (1984) 1 एससीसी 125 में, इस न्यायालय ने क़ानून द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने के साथ–साथ उचित समय के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का शीघ्रता से निर्धारण और वितरण करने के महत्व को रेखांकित किया।

45. विषयगत भूमि 1894 अधिनियम की धारा 17(4) के तहत अत्यावश्यकता के मामलों में विशेष शक्तियों का प्रयोग करके अधिग्रहित की गई थी। धारा 17(4) के प्रयोग से भूमि स्वामियों के लिए धारा 5 ए के तहत अधिग्रहण कार्यवाही पर आपत्ति उठाने का वैधानिक मार्ग समाप्त हो जाता है।ये परिस्थितियां राज्य पर भूमि मालिकों को शीघ्र उचित और युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करके न्याय की सुविधा प्रदान करने का भारी कर्तव्य डालती हैं। कोलकाता नगर निगम (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा पहचाने गए भूमि मालिकों के सात उप–अधिकार राज्य के संगत कर्तव्य हैं। हमें यह नोट करते हुए खेद है कि पूरक पंचाट के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित 3,05,31,095 रुपये की राशि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूमि मालिकों को भुगतान नहीं की गई है और कल्याणकारी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसे जल्द से जल्द भुगतान करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

46. इस न्यायालय ने धरणीधर मिश्रा (डी) बनाम बिहार राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 932 और हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार, (2011) 10 एससीसी 404 में यह अभिनिर्धारित किया है किसंपत्ति का अधिकार अब न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि एक मानव अधिकार भी है।इस न्यायालय ने तुकाराम काना जोशी बनाम पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाम एम.आई.डी.सी. (2013) 1 एस.सी.सी. 353 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि कल्याणकारी राज्य में, वैधानिक प्राधिकरण विधिक रूप से उन व्यक्तियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने और पुनर्वास करने के लिए बाध्य हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है। औद्योगिक विकास की आड़ में ऐसे दायित्वों को पूरा न करना किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को बेदखल करने और उसे उसके संवैधानिक/मानवीय अधिकार से वंचित करने के समान होगा।

47. क्षतिपूर्ति के निर्धारण और भुगतान में समय का बहुत महत्व है, यह इस न्यायालय द्वारा कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2547 में दिए गए निर्णय से भी स्पष्ट है, जिसमें यह माना गया है कि एक बार क्षतिपूर्ति निर्धारित हो जाने के बाद, उसे भूमि मालिकों द्वारा किसी प्रतिनिधित्व या अनुरोध की आवश्यकता के बिना तुरंत देय होता है और राज्य पर भूमि खोने वालों को ऐसा क्षतिपूर्ति देने का कर्तव्य होता है, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48. वर्तमान मामले में, कल्याणकारी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।राज्य यह तर्क देकर क्षतिपूर्ति के भुगतान की अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि उसकी भूमिका अपीलकर्ता, जेएएल और उसके बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने तक सीमित थी।हम पाते हैं कि भूमि मालिकों से संबंधित भूमि का स्वामित्व छीनने के बाद उन्हें क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलंब अनुच्छेद 300 ए की संवैधानिक योजना की भावना और कल्याणकारी राज्य के विचार के विपरीत है।

49. सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण सरकार के प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति के तहत किया जाता है, जो अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मालिकों की इच्छा के विरुद्ध होता है।जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सरकारी निकाय की ओर से यह एक बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व भी जुड़ जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन मालिकों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उन्हें यथाशीघ्र वैधानिक निर्णय द्वारा घोषित क्षतिपूर्ति /निर्धारित राशि का भुगतान किया जाए।

50. राज्य सरकार से, विशेष परिस्थितियों में, यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने स्वयं के खजाने से भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित भुगतान करे और उसके बाद उसे जेएएल से वसूलना चाहिए था। गरीब भूमि मालिकों को शक्तिशाली कॉर्पोरेट घरानों के पीछे भागने के लिए विवश करने के बजाय, उसे जेएएल को आवश्यक भुगतान करने के लिए विवश करना चाहिए था।"

45. हाल ही में, इस न्यायालय ने अल्ट्रा–टेक सीमेंट लिमिटेड (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में टिप्पणी की कि कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार को इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षतिपूर्ति के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।यह भी कहा गया कि राज्य यह तर्क देकर क्षतिपूर्ति के भुगतान की अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है कि उसकी भूमिका अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने तक सीमित है। इसलिए, यह देखा गया कि भूमि मालिकों से संबंधित भूमि का स्वामित्व छीन लेने के बाद विधि के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी करना अनुच्छेद 300–ए की संवैधानिक योजना की भावना और कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लंघन है।"

12. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के अनुसार गोचर भूमि को निस्तारी भूमि कहा जा सकता है और इसका अधिकार राज्य के अधीन है तथा कोई भी व्यक्ति गोचर भूमि को निजी भूमि होने का दावा नहीं कर सकता है। **छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 237 नीचे उद्धृत है:**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"237. कलेक्टर द्वारा निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए भूमि पृथक रखना।–

(1)इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए खाली भूमि को अलग कर सकता है, अर्थात्:–

(क) लकड़ी या ईंधन भंडार हेतु;

(ख) चरागाह, घास बीर या चारा भंडार हेतु; (ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान हेतु;

(घ) गौथान तथा गौशाला तथा पशु पालन परिसर की स्थापना हेतु;

(ड) शिविर स्थल हेतु;

(च) खलिहान के लिए;

(छ) बाजार हेतु;

(ज) खाल उतारने के लिए भूमि;

(झ) खाद के गड्ढों हेतु;

(ट) सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूलों, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों आदि हेतु; तथा

(ठ) किसी अन्य उद्देश्य हेतु जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग हेतु निर्धारित किया जा सकता है।

(3) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित करने के पश्चात, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित ऐसी अतिरिक्त भूमि को किसी अन्य प्रयोजनों जैसे कृषि, आबादी, आवासीय

परियोजनाओं, सड़कों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक गोदामों, विद्युत प्रणाली, गौशालाओं, कुम्हारों द्वारा मिट्टी के उत्खनन, गौण खनिजों या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, लगा सकेगा।

(3-ए) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए रखी गई भूमि किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या खनन परियोजना के लिए चिन्हित क्षेत्र के भीतर पाई जाती है, तो कलेक्टर ऐसी भूमि को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा, किन्तु ऐसा व्यपवर्तन तभी किया जा सकेगा जब उसी गांव के भीतर उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए समतुल्य भूमि उपलब्ध कराई गई हो।

(4) जब उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि को ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यपवर्तित करना अपरिहार्य हो जाए, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा अनुमोदित हों, किन्तु उपधारा (3) के अंतर्गत नहीं आती हों, तो कलेक्टर स्वयं इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि उसी ग्राम में समतुल्य क्षेत्रफल की वैकल्पिक भूमि उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति के लिए उपलब्ध करा दी गई है, इस आशय का युक्तियुक्त आदेश पारित करके भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से, पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता संबंधित भूमि के मालिक और शीर्षक धारक हैं, जिसे राज्य द्वारा अधिग्रहित किया गया है और उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना के लिए उत्तरवादी संख्या 6 को सौंप दिया गया है।दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे हैं कि संबंधित भूमि उनके पूर्वजों की है। दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित भूमि उनके पूर्वजों की है। हालांकि, दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित भूमि चारागाह भूमि के रूप में दर्ज है जिसे याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्वजों के स्वामित्व के आधार पर उनकी भूमि नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए हैं, जो उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किए हैं। उक्त दस्तावेज वर्ष 1931-32 से संबंधित भूमि अभिलेख की एक प्रति है।उपर्युक्त दस्तावेज से पता चलता है कि चकबंदी और जमाबंदी के दौरान विचाराधीन भूमि को शमीलत गोचर के रूप में दर्ज किया गया था और यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के नाम भी दर्ज किए गए थे। शमीलत गोचर भूमि का अर्थ है आम चरागाह भूमि या भूमि जो पारंपरिक रूप से पशुओं को चराने के लिए उपयोग की जाती है, यानी, ग्राम समुदाय (ग्राम सभा, ग्राम पंचायत) के स्वामित्व में है और यह ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए है।ये भूमि आम तौर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के स्वामित्व में होती है और यह निजी स्वामित्व वाली भूमि नहीं होती है।शामिलात गोचर भूमि का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम समुदाय के लिए चरागाह भूमि उपलब्ध कराना है।

14. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 57 के अनुसार चरागाह भूमि सहित सभी भूमि राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाती है।छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में शमिलात गोचर शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हालांकि

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 237(1)(ख) के प्रावधानों में चारागाह, घास–बिर या चारे के लिए भूमि को अलग रखने का प्रावधान है, जो शमिलात गोचर भूमि के लिए कार्य करता है। शमिलात गोचर जैसे विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखी गई भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि उस पर अवैध कब्जा किया गया है तो उसे छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत बेदखल किया जा सकता है।छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को चारागाह भूमि का आवंटन भी विधि के अनुसार नहीं माना गया है। संक्षेप में, शामिलात गोचर भूमि को राज्य की संपत्ति माना जाता है। छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अनधिकृत कब्जे से बेदखली हो सकती है। छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता में शामिलात गोचर भूमि के विवादों को सुलझाने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है।अब, सवाल यह उठता है कि जब विचाराधीन भूमि राज्य की संपत्ति होने के नाते शमीलात चरागाह है, तो केवल वर्ष 1931–32 से संबंधित एक दस्तावेज के आधार पर, जिसमें भूमि शमीलात चरागाह के रूप में दर्ज की गई थी, याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्वजों को विषय भूमि का स्वामित्व धारक नहीं माना जा सकता है। चूंकि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह सुझाव दे कि विचाराधीन भूमि याचिकाकर्ताओं या याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों से संबंधित है, याचिकाकर्ता अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी अनुतोष का दावा नहीं कर सकते हैं।जब तक स्वामित्व और अधिकार के संबंध में ठोस सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक याचिकाकर्ताओं को उस भूमि का अधिकार धारक नहीं माना जा सकता है, जिसे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. **कांतिलाल बनाम कमिश्नर, इंदौर संभाग के मामले में, जो 1971 में एमपीएलजे एसएन 95 (डीबी) में रिपोर्ट** किया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:

8. सामान्य :–– भूमि राजस्व संहिता की धारा 237 में प्रावधान है कि कलेक्टर को निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए भूमि अलग रखनी चाहिए, जिसकी धारा 237(1) में कई अलग–अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक (बी) चारागाह, घास बीड़ या चारा रिजर्व के लिए है। कलेक्टर के आदेश से किसी भी तरह के निस्तार के लिए अलग रखी गई भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट किया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है।अपील की सुनवाई आयुक्त द्वारा किए जाने की स्थिति में, या उसके द्वारा अपने पुनरीक्षण शक्तियों का अनुचित प्रयोग किए जाने की स्थिति में, आयुक्त के आदेश से उच्चतर प्राधिकारी, इस मामले में राजस्व बोर्ड, के समक्ष एक और पुनरीक्षण किया जा सकता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने स्वयं आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा है, और इस आधार पर पुनरीक्षण में नहीं गया है कि अपील की जा सकती है, परंतु कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करना कानूनी न हो। एक और बिंदु जो याचिकाकर्ता के बिल्कुल खिलाफ जाता है और जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी अनुतोष देना अनुचित होगा, वह है पूरे लेन–देन की स्पष्ट दुर्भावना।भूमि का आवंटन कानून द्वारा नहीं बल्कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित होता है। जैसा कि पता चला है कि भूमि राजस्व संहिता की धारा 162 में नियमों द्वारा समर्थित इस संबंध में एक वैधानिक प्रावधान था। उस धारा के निरस्त

होने के बाद अब आवंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र **IV** द्वारा शासित होता है। जब आवंटन अधिकारी स्वयं कलेक्टर होता है तो परिपत्र पुनरीक्षण प्राधिकारी के बारे में मौन रहता है। इस संबंध में विधिक दृष्टांत का उल्लेख कर दिया गया है कि जब कानून कुछ अधिकारियों को अपील या पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने का प्रावधान करता है, तो केवल वे ही अधिकारी इसका प्रयोग कर सकते हैं और यदि किसी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है और तदनुसार विधिक दृष्टांत को निर्धारित करना अनावश्यक है।लेकिन जब हम कार्यकारी नियमों से निपट रहे हैं और 'आवंटन अधिकारी' के आदेश से संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो निष्कर्ष यह है कि आवंटन के प्रत्येक मामले में संशोधन होता है और जब भी अधिकारी का मुखिया जो आमतौर पर आवंटन अधिकारी होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी आवंटन करता है, तो संशोधन प्राधिकारी वह उच्च अधिकारी होगा जो तत्काल मामले में आवंटन अधिकारी से वही संबंध रखता है जो कलेक्टर सामान्य आवंटन अधिकारी यानी तहसीलदार से रखता है।जाहिर है ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण आयुक्त के पास होगा।ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्यकारी निर्देशों की व्याख्या करते समय हम भावना से निर्देशित होंगे।तदनुसार हम अभिनिर्धारित करतेे ह है कि आयुक्त उचित पुनरीक्षण प्राधिकरण था।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. **दलीप राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 2025 एससी 898 के** मामले में हाल के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

“1. स्वामित्व विशेष अनुमति याचिकाओं में शामिल तर्क और तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि उनमें विवाद का मूल, अनिवार्य रूप से एक ही है, अर्थात, क्या विषयगत भूमि शामलात देह थी, जो विस्थापित व्यक्ति(यों) को अर्ध-स्थायी आधार पर आवंटित (यदि आवंटन था) थी या क्या वे शामलात देह थीं जिन्हें पंजाब ग्राम आम भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के लागू होने के बाद विक्रय या किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया था।इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर अधिनियम की धारा 2(जी)(**ii**-ए) के संशोधन के आधार पर वैधानिक रूप से विक्रय या किसी अन्य तरीके से ऐसे आवंटन या हस्तांतरण को संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए, इनमें से अधिकांश विशेष अनुमति याचिकाओं का भाग्य मुख्य रूप से उस प्रश्न पर निर्भर करता है।...

3. इस विचार के भाग के रूप में, हम पहले उक्त संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 2 (जी) की स्थिति का उल्लेख करेंगे और यह इस प्रकार है: -

"2 (जी)" शामलात देह में शामिल हैं:---

(**i**) राजस्व अभिलेखों में शामलात देह के रूप में वर्णित भूमि, जिसमें आबादी देह शामिल नहीं है;

(**ii**) शामलात टिक्का; परंतु इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जो

(ii) किसी विस्थापित व्यक्ति को अर्ध-स्थायी आधार पर आवंटित की गई है;

(**ii**-क) जो शामलात देह थी, परंतु किसी विस्थापित व्यक्ति को अर्ध–स्थायी आधार पर आवंटित की गई है, या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, परंतु 9 जुलाई, 1985 को या उससे पूर्व किसी व्यक्ति को बिक्री द्वारा या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित की गई है।4.अधिनियम की संशोधित धारा 2(जी)(**ii**–ए) के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम में शामलात देह की समावेशी परिभाषा वास्तव में एक गैर–समावेशी खंड सम्मिलित करके संशोधित की गई है। उसी के अनुसार, शामलात देह, यदि विस्थापित व्यक्ति को अर्ध–स्थायी आधार पर आवंटित की गई है या अन्यथा किसी व्यक्ति को बिक्री द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जो भी हो, 9 जुलाई, 1985 को या उससे पहले उस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद हस्तांतरित की गई है, तो यह अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत शामलात देह की परिभाषा के समावेश से बाहर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, बिक्री द्वारा या किसी अन्य तरीके से ऐसे आवंटियों/हस्तांतरितियों को ऐसी भूमि(भूमियों) से संबंधित वैधानिक रूप से उपलब्ध सुरक्षा प्राप्त होगी।

24. यह एक तथ्य है कि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विषयगत भूमि ग्राम पंचायत के पास निहित है, क्योंकि अभिलेखों के अनुसार विषयगत भूमि की प्रकृति शामलात देह के रूप में प्रकट होती है।तथ्य यह है कि इन सभी मामलों में ऐसे तर्क के आधार पर तथा इस तथ्य के आधार पर कि याचिकाकर्ता ऐसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे में हैं, पंचायत ने पहले भी याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के लिए अधिनियम की धारा 7 के तहत याचिकाएं दायर की थीं।यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ मामलों में, संबंधित पंचायतों के पक्ष में ऐसे आवेदनों के निपटान के मामले में प्रभाव से बचने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत विभिन्न खंडों की अलग–अलग विशेषताएं हैं और एक–दूसरे से स्वतंत्र हैं, प्रत्येक खंड शामलात देह की प्रकृति को शामिल करेगा, उच्च न्यायालय ने विवादों को खारिज कर दिया, विशेष रूप से सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2264/1986 में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए, जिसका स्वामित्व था "ग्राम पंचायत गांव मुलेपुर तहसील सरहंद जिला पटियाला बनाम सुच्चा सिंह (मृतक) एलआरएस और अन्य के माध्यम से"।इस प्रकार, उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपित आदेशों तथा उच्च न्यायालय के निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करने से पता चलता है कि वे सभी विषयगत भूमि की प्रकृति के प्रश्न पर एकमत नहीं हैं, जैसे कि शामलात देह। ऐसे सभी पहलुओं पर विचार करने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से प्रकट तथ्यात्मक स्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों के आदेशों की पुष्टि की है।उपरोक्त तथ्यों और याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसे मामलों में प्राप्त परिस्थितियों में मुद्दों को तैयार न करने के कारण पूर्वाग्रह को दर्शाने में विफलता और सबसे बढ़कर, आरोपित निर्णय में किसी भी प्रकार की विकृति के अभाव में, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो एक या दो दशकों से अधिक समय से चल रहे मुकदमों को शांत कर देगा। किसी भी दर पर, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य कोई भी मामला बनाने में विफल रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, दिनांक 06.07.2012 के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।...

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

37. उक्त परिस्थितियों में विचार के लिए उठे प्रश्न का उल्लेख इस निर्णय के कंडिका 11 में किया गया है, जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है। याचिकाकर्ता, जो उपर्युक्त भूमि पर कब्जे में आया था, ने अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका दायर करके विवादित भूमि पर स्वामित्व का दावा किया। सुसंगत स्थिति में, अधिनियम की धारा 11 का संदर्भ देना सुसंगत है।

"11.शमीलात देह में अधिकार, हक या हित के दावों का निर्णय।

(1) कोई व्यक्ति या पंचायत, जो किसी भूमि में अधिकार, हक या हित का दावा करती है, जो किसी पंचायत में निहित है या निहित समझी गई है, वह निर्धारित समय के भीतर कलेक्टर को अपने दावे का लिखित तथा हस्ताक्षरित तथा निर्धारित तरीके से सत्यापित विवरण प्रस्तुत कर सकता है और कलेक्टर को ऐसे दावे का निर्णय निर्धारित तरीके से करने का अधिकार होगा।

(2) कोई व्यक्ति या पंचायत, जो उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित है, आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर आयुक्त को ऐसे प्ररूप और तरीके से अपील कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए और आयुक्त अपील की सुनवाई के पश्चात्, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पुष्ट, परिवर्तित या उलट सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. इसके अवलोकन से यह प्रकट होगा कि कोई भी व्यक्ति धारा 11 के अधीन याचिका रख सकता है, जिसमें पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली किसी भूमि पर अधिकार, हक या हित का दावा किया जा सकता है। जब ऐसा है, तो याचिकाकर्ता जो धारा 11 के तहत आदेश के अनुसार अधिकार का दावा करता है, को यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि भूमि कभी भी पंचायत में निहित नहीं थी, इसे पंचायत में निहित नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उसने स्वयं/पूर्ववर्ती ने धारा 11 के तहत प्राधिकरण से संपर्क किया था। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 11 को दाखिल करने से ही यह पूर्व–मान्यता हो जाती है कि विचाराधीन भूमि, जिसके संबंध में आवेदक अधिकार, शीर्षक या हित का दावा करता है, वह भूमि पंचायत में निहित है या निहित मानी गई है।संक्षेप में, अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करते हुए धारा 11 के तहत याचिका दायर करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि विचाराधीन भूमि, जिस पर ऐसे अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा किया जाता है, संबंधित पंचायत में निहित होनी चाहिए या निहित मानी जानी चाहिए।

41. उच्च न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया कि चकबंदी से पहले शामलात देह की प्रविष्टियां, किसी भी नामकरण के बावजूद, अधिनियम की धारा 2 (जी) (1) और धारा 4 के अनुसार निश्चित रूप से भूमि ग्राम पंचायत में निहित होंगी, और इसलिए, 'शामलात देह' शब्द के बाद किसी भी अन्य प्रविष्टि अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में निहित होगी।

17. याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया अनुतोष पर विचार करते समय सर्वोपरि विचार यह होगा कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया अनुतोष इस तथ्य के बावजूद दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता उक्त भूमि पर अपना हक साबित नहीं कर सके और केवल एक दस्तावेज के आधार पर, जिसमें उनके पूर्वजों में से एक का

नाम दर्ज है, लेकिन भूमि की प्रकृति "शमीलात चरागाह" के रूप में दर्ज है, जो किसी विशेष व्यक्ति के हक के बिना एक सामान्य चरागाह है।यह याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वे अपना हक साबित करें ताकि क्षतिपूर्ति देने के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जा सकें, जो इस मामले में नहीं है।जैसा कि विभिन्न प्राधिकरणों में परिभाषित किया गया है, शमिलात चरागाह/शमिलात देह/चारागाह भूमि, किसी भी चरागाह क्षेत्र को दर्शाती है और यदि कोई भूमि आम चरागाह के लिए आरक्षित है तो यह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती है, भले ही एक व्यक्ति का नाम दर्ज हो। यह निस्तारी भूमि के समान है जो पूरे समाज के लाभ के लिए है।जब याचिकाकर्ताओं ने ये याचिकाएं दायर कीं, हालांकि बहुत विलंब से, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उनके स्वामित्व को स्थापित करना था और स्वामित्व और अधिकार के अभाव में संबंधित अधिकारियों के समक्ष यही कारण था, जिसके कारण हालांकि क्षतिपूर्ति की गणना की गई थी, लेकिन, भूमि पर कब्जा लेने के बाद भी इसे वितरित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वर्ष 1949 से संबंधित है। 2 अक्टूबर 1959 से मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के लागू होने के पश्चात समस्त सार्वजनिक भूमि/तालाब जो निजी व्यक्तियों के कब्जे में थे, उन्हें राज्य द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया तथा अब समस्त सामान्य संपत्ति जैसे तालाब, शामलात चारागाह, चरागाह भूमि, छोटे झाड़ का जंगल आदि का स्वामी राज्य है तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. चूंकि याचिकाकर्ता अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सके, इसलिए इस मामले में निर्धारित किया जाने वाला दूसरा प्रश्न नहीं उठता है और तदनुसार देरी और लापरवाही के प्रश्न के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की प्रयोज्यता के प्रश्न पर भी वर्तमान मामले में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर इस न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व के संबंध में कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। शायद यही कारण था कि क्षतिपूर्ति की गणना के बाद भी राशि वितरित नहीं की जा सकी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि के लिए अपने स्वामित्व की कमी के कारण क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए पात्र नहीं है।

19. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शमीलात चरागाह भूमि होने के कारण यह भूमि कल्पना के दायरे में भी याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी भूमि नहीं मानी जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती है।

20. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं तथा तदानुसार खारिज किया जाता है।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur